प्रस्तावना

'पश्चिमी अपतट, ओएनजीसी में वॉटर इंजेक्शन संचालन' पर अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई है। लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि को कवर कियागया। रिपोर्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर आधारित है। यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या जलाशय में पर्याप्त जल (मात्रा और गुणवत्ता) डाला गया था, और यदि नहीं, तो उसके कारण। लेखापरीक्षा ने दोषपूर्ण योजना का खुलासा किया जिसके परिणामस्वरूप जलाशय में पर्याप्त से कम इंजेक्शन, अपनाए गए मानदंडों के अनुसार महत्वपूर्ण उपकरणों के सुधार/रखरखाव में देरी के कारण उपकरण की विफलता हुई और जल की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित हुई। मार्च 2019 तक, जल के इंजेक्शन के माध्यम से 100 *प्रतिशत* शून्यता मुआवजे के इच्छित स्तर के मुकाबले, कंपनी मुंबई हाई, नीलम और हीरा क्षेत्रों में क्रमशः 54.43 *प्रतिशत*, 42 *प्रतिशत* और 78.8 *प्रतिशत* का संचयी शून्यता मुआवजा प्राप्त कर सकती है। अपर्याप्त इंजेक्शन इन क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं में परिकल्पित उत्पादन को प्राप्त नहीं करने का एक कारण था।

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और ओएनजीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के दौरान पेट्रोलियम ऊर्जा और अध्ययन विश्वविद्यालय, सलाहकार द्वारा दिए गए सहयोग को भी रिकॉर्ड में रखा है।